

(Authoritative English Text of this Department Notification No. FFE-B-F(6)11/2005-II-Kugti,
Dated 18th Sept. 2013 as required under Articles 348 (3) of the Constitution of India).

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF FORESTS

No. FFE-B-F(6)-11/2005-II/ Kugti

Dated : Shimla-2, the 18th Sept. 2013

NOTIFICATION

Whereas a Notification under Section 26A of the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972) was issued by the Government vide Notification No. FFE-B-F(6)-6/99, dated 23.10.1999 to declare Kugti as Wildlife Sanctuary comprising an area of 379.00 sq. km;

And whereas, the matter with regard to the rationalization of Wildlife Sanctuaries and National Parks in Himachal Pradesh was under consideration of the Hon'ble Supreme Court in IA No. 139/2010 in Writ Petition (Civil) No. 337 of 1995 titled Centre for Environmental Law, WWF-I Versus Union of India & Others;

And whereas, in pursuance to the Hon'ble Supreme Court order dated 7th May 2010, the State Government issued intention Notifications under Section 18 of the Wildlife (Protection) Act, 1972 in respect of Wildlife Sanctuaries and National Parks for which rationalization had been proposed;

And whereas, Intention Notification under section 18(1) of the Wildlife (Protection) Act, 1972 was issued vide Notification No. FFE-B-F(6)-11/2005, dated 28th July, 2010 to include an areas of 90.00 sq. km to the existing on ground area of 324.30 sq. km of Kugti Wildlife Sanctuary.

And whereas, the Hon'ble Supreme Court vide order dated 05/08/2011, further directed the State Government to follow the procedure laid down under Section 18 to 26A and 35 of the Wildlife (Protection) Act, 1972 before issuance of final Notifications under Section 26A of the Wildlife (Protection) Act, 1972, which procedure was duly followed;

And whereas, the Hon'ble Supreme Court vide order dated 01/02/2013, passed in IA No. 155 (earlier IA No. 139/2010), has permitted the State Government to issue final Notifications under Sections 26A, 35(4) & 36A of the Wildlife (Protection) Act, 1972 with regard to the proposed rationalization of boundaries of Wildlife Sanctuaries and National Parks in Himachal Pradesh;

And whereas, as a consequence of rationalization of boundaries of Kugti Wildlife Sanctuary, an additional area of 90.00 sq. kms is included and 8.81 sq. km. areas is excluded (comprising 2 villages namely Upper Kugti and Lower Kugti) from the existing area on ground i.e.

324.30 sq. km of Kugti Wildlife Sanctuary. The total area of 405.49 km (324.30 sq. km + 90.00 sq. km—8.81 sq. km) shall now constitute the Kugti Wildlife Sanctuary after rationalization.

Now, therefore, the Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers vested in her under Section 26A of the Act ibid is pleased to declare the aforesaid area of 405.49 sq. km as 'Kugti Wildlife Sanctuary' with immediate effect for the purpose of protecting, propagating and developing wildlife and its environment.

The limits of Kugti Wildlife Sanctuary shall be as under:

Sr. No.	Name of Wildlife Sanctuary	Constituents i) District ii) Forest Division	Boundaries of Kugti Wildlife Sanctuary.
1.	Kugti Wildlife Sanctuary	i) Chamba ii) Chamba (Wildlife) Division	<p>NORTH: Starting from point 5740 mtr along the ridge line to point 5723 mtr to point 5681 to point 5842 mtr to Dugg ka jot at point 5342 mtr along Pangi Dhar to point 5861 mtr to Grechu Jot to Kugti Galu at point 5040 mtr. To point 5573 mtr to point 5700 mts to Laihas jot at point 4991 mtr to point 6070 mts all along Pangi Dhar.</p> <p>EAST: From point 6070 mtr to point 5444 mtr to point 5304 mtr to point 5702 mtr along Dhog Dhar to point 5535 mtr along ridge to point 5416 mtr to point 5422 mtr along Nikora Dhar to Nikora pass at point 4749 mtr.</p> <p>SOUTH: From Nikora pass at point 4749 mtr to point 4759 mtr to point 5184 mtr to point 4871 mtr to Khidala gallu to Chobu pass along Goari Khad and Dhanchhow nalla up to Dhanchhu Got.</p> <p>WEST: From Dhanchhu Got along Ghoi nalla up to Budhil nalla then along right bank of Budhil Nalla up to point 2500 mtr to Khesar Got to point 3128 mtr to Chalatu nalla to Chhih Got</p>

			to point 3081 mtr to point 2941 mtr to Lahal Got along outer boundary of Lal RF to Dharaul Got to point 1974 along the left bank of Budhil nalla to Cheri Behi to Goru Ban to point 2565 mtr to Khapar to point 4018 mtr to point 4790 mtr to point 5295 mtr all along the ridge of Jul Dhar to point 5336 mtr up to point 5740 mtr all along the ridge line.
--	--	--	---

This area is situated within the Geo-coordinates, North latitude 32° 35' 00" N and longitude 76° 38' 59" E, East latitude 32° 31' 12" N and longitude 76° 53' 02" E, South latitude 32° 21' 32" N and longitude 76° 46' 15" E, West latitude 32° 32' 37" N and longitude 76° 34' 23" E. This area falls on Survey of India topo sheet No. 52 D/10, 52D/11, 52D/14 & 52D/15 on scale 1: 50,000.

Area of Kugti Wildlife Sanctuary= 405.49 sq. km

By Order

Principal Secretary (Forests) to the
Government of Himachal Pradesh.

Endst. No As above

Dated Shimla-2 the 18th Sept., 2013

Copy forwarded to:-

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla-2.
2. All the Divisional Commissioners, Shimla, Mandi & Dharamshala, H.P.
3. All the Heads of Departments of H.P.
4. The Principal Chief Conservator of Forests, H.P. Shimla-1
5. The Principal Chief Conservator of Forests, (Wildlife) H.P. Shimla-1.
6. All CCFs / DFOs (Wildlife) in H.P.
7. All the Deputy Commissioners in H.P.
8. All the CCFs/CFs /DFOs in H.P.
9. ALR-cum- Under Secretary Law to the Government of Himachal Pradesh.
10. The Controller H.P. Printing & Stationary Department Shimla-5 for publication in the Raj-Patra (Extra-ordinary) Five Copies of the Raj-Patra be sent to this department,
11. Guard File.

(Prakasha Nand)

Under Secretary (Forests) to the
Government of Himachal Pradesh.
Ph. No. 2880-818, Mob. 94184-55573
E.mail usforests.hp@gmail.com.

हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग

संख्या: एफ.एफ.ई.-बी-एफ.(6)-11/2005-II-कुगती तारीख शिमला-2, 18 सितम्बर, 2013

अधिसूचना

सरकार ने वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 26क के अधीन अधिसूचना संख्या: एफ.एफ.ई.-बी-एफ.(6)-6/99, तारीख 23-10-1999 द्वारा 379.00 वर्ग किलोमीटर से समाविष्ट क्षेत्र को वन्य जीव अभ्यारण्य **कुगती** के रूप में घोषित करने की अधिसूचना जारी की थी;

और हिमाचल प्रदेश में वन्य जीव अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय पार्कों के युक्तिकरण की बाबत मामला, आईए न0 139/2010 इन रिट पिटिशन (सविल) न0 337 ऑफ 1995 नामतः सेन्टर फॉर एनवारनमेंटल लॉ, डबल्यू डबल्यू एफ-1 बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एण्ड अदजर्ज में माननीय उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन था;

और माननीय उच्चतम न्यायालय के 7 मई, 2010 के आदेश के अनुसरण में सरकार ने वन्य जीव अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय पार्कों, जिनके लिए युक्तिकरण प्रस्तावित किया गया था, की बाबत वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 18 के अधीन इस आशय की अधिसूचनाएं जारी की थी;

और अधिसूचना संख्या: एफ.एफ.ई.-बी-एफ.(6)11/2005 तारीख 28 जुलाई, 2010 द्वारा कुगती वन्य जीव अभ्यारण्य के विद्यमान धरातल क्षेत्र 324.30 वर्ग किलोमीटर में 90.00 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को सम्मिलित करने के लिए वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 18(1) के अधीन आशय अधिसूचना जारी की गई थी;

और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश तारीख 5-8-2011 द्वारा, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 26क के अधीन अन्तिम अधिसूचनाएं जारी करने से पूर्व वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 18 से 26क और 35 में अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण करने के लिए भी राज्य सरकार को निर्देश दिए गए, जिस प्रक्रिया का सम्यक् रूप से अनुसरण किया गया है;

और माननीय उच्चतम न्यायालय ने आईए सं० 155 (पहले आईए न० 139/2010) में पारित आदेश, तारीख 1-2-2013 द्वारा, राज्य सरकार को हिमाचल प्रदेश में वन्य जीव अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय पार्कों की सीमाओं के प्रस्तावित युक्तिकरण की बाबत वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 26क, 35(4) एवं 36क के अधीन अन्तिम अधिसूचनाएं जारी करने को अनुमत किया है;

और कुगती वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमाओं के युक्तिकरण के परिणामस्वरूप कुगती वन्य जीव अभ्यारण्य के 324.30 वर्ग किलोमीटर के विद्यमान धरातल क्षेत्र में 90.00 वर्ग किलोमीटर के अतिरिक्त क्षेत्र को सम्मिलित किया गया है और उसमें से 8.81 वर्ग किलोमीटर (समाविष्ट 2 गांवों अर्थात् उपरी कुगती एवं निचली कुगती) के क्षेत्र को एतद्वारा वन्य जीव अभ्यारण्य में से निकाल दिया जाता है। युक्तिकरण के पश्चात् कुगती वन्य जीव अभ्यारण्य का कुल क्षेत्र 405.49 वर्ग किलोमीटर (324.30 वर्ग किलोमीटर + 90.00 वर्ग किलोमीटर - 8.81 वर्ग किलोमीटर) से गठित होगा;

अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, पुर्वोक्त अधिनियम की धारा 26क के अधीन उनमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए 405.49 वर्ग किलोमीटर के उक्त क्षेत्र को, वन्य जीव और इसके पर्यावरण के संरक्षण, प्रसारण और विकसित करने के प्रयोजन के लिए, तुरन्त प्रभाव से कुगती वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित करती हैं;

कुगती वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमाएं निम्न प्रकार से होंगी:

क्रम संख्या	वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम	घटक i) जिला ii) वन मण्डल	कुगती वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमाएं
1	कुगती	i) चम्बा ii) चम्बा (वन्य जीव) मण्डल	<p>उत्तर: बिन्दु 5740 मीटर से शुरू हो कर धार के साथ-साथ बिन्दु 5723 मीटर से बिन्दु 5681 मीटर से होती हुई आगे बिन्दु 5842 मीटर, डुग का जोत बिन्दु 5342 मीटर से पांगी धार के साथ-साथ बिन्दु 5861 मीटर से गरेचू जोत से कुगती गलू बिन्दु 5040 मीटर से बिन्दु 5573 से बिन्दु 5700 मीटर से होती हुई लाईहास जोत बिन्दु 4991 मीटर से बिन्दु 6070 मीटर तक समस्त पांगी धार पर।</p> <p>पूर्व: बिन्दु 6070 मीटर से बिन्दु 5444 मीटर से बिन्दु</p>

		<p>5304 मीटर से 5702 मीटर से धोगधार के साथ-साथ बिन्दु 5535 मीटर से धार पर बिन्दु 5416 मीटर से बिन्दु 5422 मीटर से निकोरा धार के साथ-साथ निकोरा पास बिन्दु 4749 मीटर तक ।</p> <p>दक्षिण: निकोरा पास बिन्दु 4749 मीटर से बिन्दु 4759 मीटर से बिन्दु 5184 मीटर से बिन्दु 4871 मीटर से खिदाला गलू से चोबू पास गवारी खड से होती हुई धानछो नाला के साथ-साथ धानछो गोट तक ।</p> <p>पश्चिम: धानछो गोट से घोई नाला होती हुई बुधिल नाला हो कर फिर बुधिल नाला के दायें किनारे के साथ-साथ बिन्दु 2500 मीटर से खेसर गोट से बिन्दु 3128 मीटर से चलाटू नाला से छिह गोट से बिन्दु 3081 मीटर से बिन्दु 2941 मीटर से लाहल गोट से होती हुई लाल सुरक्षित वन की सीमा के साथ-साथ धरोल गोट बिन्दु 1974 मीटर से बुधिल नाला के बायें किनारे के साथ-साथ चेरी बही से गोरु बान से बिन्दु 2565 मीटर से खापर से बिन्दु 4018 मीटर से बिन्दु 4790 मीटर से बिन्दु 5295 मीटर से पूरी जूल धार से होती हुई बिन्दु 5336 मीटर से धार के साथ-साथ बिन्दु 5740 मीटर तक ।</p>
--	--	--

इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति: उत्तर अक्षांश $32^{\circ} 35' 00''$ उत्तर और देशान्तर $76^{\circ} 38' 59''$ पूर्व । पूर्व अक्षांश $32^{\circ} 31' 12''$ उत्तर और देशान्तर $76^{\circ} 53' 02''$ पूर्व । दक्षिण अक्षांश $32^{\circ} 21' 32''$ उत्तर और देशान्तर $76^{\circ} 46' 15''$ पूर्व और पश्चिम अक्षांश $32^{\circ} 32' 37''$ उत्तर और देशान्तर $76^{\circ} 34' 23''$ पूर्व। यह क्षेत्र भारतीय सर्वेक्षण विभाग की टोपो शीट नम्बर 52डी/10, 52डी/11, 52डी/14 एवं 52डी/15, (पैमाना 1:50000) पर दर्शाया गया है ।

कुगती वन्य जीव अभ्यारण्य का कुल क्षेत्रफल : 405.49 वर्ग कि० मी० ।

आदेश द्वारा,

प्रधान सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश-शिमला-2
2. सभी मण्डलायुक्त, शिमला, मण्डी व धर्मशाला मण्डल हिमाचल प्रदेश ।
3. समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश
4. प्रधान मुख्य अरण्यपाल हिमाचल प्रदेश शिमला-1
5. प्रधान मुख्य अरण्यपाल (वन्य प्राणी) हिमाचल प्रदेश-शिमला-1
6. समस्त मुख्य अरण्यपाल/वनमण्डलाधिकारी (वन्य प्राणी) हिमाचल प्रदेश ।
7. समस्त जिलाधीश, हिमाचल प्रदेश ।
8. समस्त मुख्य अरण्यपाल/अरण्यपाल/वनमण्डलाधिकारी, (क्षेत्रीय) हिमाचल प्रदेश ।
9. सहायक विधि परामर्शी एवं अवर सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार ।
10. नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला-5 को राजपत्र में प्रकाशित करने हेतु । कृपया इसकी पांच अतिरिक्त प्रतियां छापी जावें ।
11. गार्ड फाइल ।

(प्रकाशा नन्द)

अवर सचिव (वन)

हिमाचल प्रदेश सरकार

दूरभाष 2880818, मो0 9418455573